अपील सूचना अधिकार संख्या 20/2018 रीना पुत्री मधुसूदन उर्फ मसूदा दास निवासी वार्ड नम्बर 49 करणी मार्ग, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09-05-2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रीना स्वयं उपस्थित नहीं। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से जवाब/प्रतिवेदन पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है, जो पहले से ही शामिल पत्रावली है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2018 को प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 08.02.2018 की अप्रसन्नता से यह अपील प्रस्तुत की है। जिसमें अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है

अपीलार्थी रीना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः-

1. राशन कार्ड संख्या – 00050 बीपीएल मधु सूदन पुत्र श्री भागीरथ वार्ड नं 49, करणी मार्ग के नाम से जारी है, इस राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
2. उक्त राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाएँ।

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 3310 दिनांक 08.02.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई :

आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि
1. आप द्वारा अंकित राशनकार्ड निरस्त हो चुका है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
2. राशनकार्ड निरस्त हो चुका है, अतः उक्त राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है।

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से राशन कार्ड संख्या 00050 बीपीएल की वर्तमान स्थिति और राशन कार्ड की प्रमाणित चाही थी, जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2018 द्वारा दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर